सं0-3397/62-2-2014-2/4(23)/2011

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग
उ0 प्र0 लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक- 15 दिसम्बर,2014

विषय- लघु सिंचाई विभाग के अमीन/पतरौल की वेतन विसंगति से संबंधित मुख्य सचिव समिति को संदर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के पत्र सं0-वे0-आ0-2-776/दस-54(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 22-10-2014 में लिये गये निर्णय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के अमीन/पतरौल के पद का वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन एवं शैक्षिक अर्हता तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत संशोधित किया जाता है-

(I) पतरौल के पद पर वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1, रू0-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0-1800/- के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1, रू0-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0-1900/- अनुमन्य किया जाता है।

(II) अमीन के पद पर सीधी भर्ती की अर्हता इण्टर मीडिएट के साथ कम्प्यूटर में सी0सी0सी0 का प्रमाण पत्र निर्धारित करते हुए वर्तमान में अनुमन्य हो रहे वेतन बैण्ड-1, रू0-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0-1900/- के स्थान पर उच्चीकृत/संशोधित वेतन बैण्ड-1, रू0-5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0-2000/-अनुमन्य किया जाता है।

2- उपर्युक्त उच्चीकृत ग्रेड वेतन में संबंधित पदधारकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008, दिनांक 24 दिसम्बर,2009 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

3- उपर्युक्त व्यवस्था का समावेश करते हुए संशोधित सेवा नियमावली यथाशीध्र प्रख्यापित करायी जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0संख्या-वे0आ0-2-1349/दस-2014, दिनांक 03-12-2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

कृपया तदनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/
(चन्द्र प्रकाश)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-3397(1)/62-2-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।

2- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2, (तीन प्रतियों में)

3- वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2

5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरों, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0/

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।